डॉ. आर. एन. अरोरा,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-उत्तरदाता

30 नवंबर, 1989

भारत का संविधान, 1950-कला. पंजाब सिविल सेवा नियम, 1973 (खंड I, भाग I)-R.I. 4.8-याचिकाकर्ता ने तीन साल की निरंतर अवधि के लिए दक्षता बार को पार करने से रोक दिया-सुनवाई का अवसर वहन नहीं किया गया-याचिकाकर्ता ने दक्षता बार को पार करने के बाद एक वृद्धि की अनुमति दी-आदेश R.I. 4.8 के साथ पुष्टि में नहीं-ऑडी-अल्टरम-पार्टेम का सिद्धांत-अनिवार्य।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऑडी अल्टरम पार्टेम का सिद्धांत, अर्थात्, किसी भी व्यक्ति की निंदा बिना सुने नहीं की जानी चाहिए, अब दक्षता बार में ठहराव के मामले तक बढ़ा दी गई है। नतीजतन, जब याचिकाकर्ता को 1 अप्रैल, 1982 को दक्षता बार को पार करना था, और उस वर्ष के लिए और लगातार दो वर्षों के लिए, यानी 1 अप्रैल, 1983 और 1 अप्रैल, 1984 को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई थी, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की यह अनिवार्य आवश्यकता थी कि वह सामग्री जिसके आधार पर याचिकाकर्ता को दक्षता बार को पार करने से इनकार कर दिया गया था, उसे दिखाया जाना चाहिए था। जाहिर है, उद्देश्य यह है कि यदि याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया गया होता, तो वह याचिकाकर्ता द्वारा अर्जित वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की गुणवत्ता और प्रतिकूल टिप्पणियों के संबंध में लेखकों को संतुष्ट करने की स्थिति में होता। ऐसा न किए जाने पर, 1 अप्रैल, 1982,1 अप्रैल, 1983 और 1 अप्रैल, 1984 से प्रभाव से दक्षता बार में याचिकाकर्ता को रोकने वाले विवादित आदेश रद्द किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं।

(पैरा 4)

अभिनिर्धारित किया गया कि जब याचिकाकर्ता को अंततः 1 अप्रैल, 1985 से प्रभाव से दक्षता बार को पार करने की अनुमति दी गई थी, तो वह सेवा की अवधि के आधार पर समय पैमाने में स्तर पर अपना वेतन निर्धारित करने का हकदार था, जिसका अर्थ है कि समय-पैमाने में सभी वेतनवृद्धि उसे जारी की जानी थी और दक्षता बार में ठहराव का प्रभाव केवल उस अवधि के लिए वेतनवृद्धि से वंचित करने के लिए था, जिसके दौरान वे वेतनवृद्धि जारी नहीं की गई थी। याचिकाकर्ता द्वारा दक्षता बार में रोके जाने की अवधि के दौरान वेतनवृद्धि की गैर-प्राप्ति आवर्ती प्रकृति की नहीं थी, बल्कि भविष्य के प्रभाव के बिना वेतनवृद्धि को रोकने के दंड की तरह थी। इसके बाद याचिकाकर्ता का वेतन 1 अप्रैल, 1985 से एक वेतन वृद्धि के बजाय तीन वेतन वृद्धि जोड़कर तय किया जाना था। यह पंजाब सिविल सेवा नियम, नियम, खंड I, भाग I के नियम 4.8 और उसमें संलग्न नोट का सच्चा इरादा और भावना है।

(पैरा 5)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन याचिका, यह प्रार्थना करते हुए कि यह माननीय न्यायालयः –

(1) उत्तरदाताओं को अनिवार्य और/या अन्यथा की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना -

(a) याचिकाकर्ता की सभी वेतन वृद्धि को बहाल करें, जब उसे अंततः E.B को पार करने की अनुमति दी गई थी 1 अप्रैल, 1985 को;

(b) छुट्टी-नकदीकरण का भुगतान जारी करें, जैसा कि याचिकाकर्ता के कारण पाया जा सकता है; और

(c) अपने अन्य सेवानिवृत्ति बकाया जैसे पेंशन, D.C.R.G और G.P.F का निपटान करें।

(2) सेवानिवृत्ति की तारीख से उसके वास्तविक भुगतान की तारीख तक 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से विलंबित भुगतान पर दंडात्मक ब्याज के भुगतान के लिए एक समान रिट, आदेश या निर्देश जारी करना;

(3) कोई अन्य राहत प्रदान करें जिसे यह माननीय न्यायालय, मामले की परिस्थितियों में, उपयुक्त और उचित समझे;

(4) दस्तावेजों की मूल/सत्यापित प्रतियों को दाखिल करने के साथ वितरित करना, उदा। 'P/1' से 'P/6' जिसकी सही प्रतियां रिट याचिका के साथ संलग्न की गई हैं;

(5) याचिकाकर्ता के पक्ष में रिट याचिका का व्यय अधिनिर्णीत करें।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता के. के. जगिया
मदन देव, अधिवक्ता, A.G (Hy.) के लिए

निर्णय

एम. आर. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति

(1) यह निर्णय हरियाणा सिविल चिकित्सा सेवा वर्ग। के सेवानिवृत्त सदस्य डॉक्टर आर. एन. अरोड़ा द्वारा दायर 1988 के C.W.P नंबर 26 और 98 का निपटारा करेगा, जिसके तहत उन्होंने 1 अप्रैल, 1982 को दक्षता बार में उन्हें रोकने के आदेश को चुनौती दी है, बाद के आदेश से आने वाले परिणामी लाभों को जारी नहीं करने की अनुमति दी गई है, जिससे उन्हें 1 अप्रैल, 1985 से प्रभाव से दक्षता बार को पार करने की अनुमति दी गई है, और 2 जुलाई, 1987 का आदेश, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता क्रमशः 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवा से समय से पहले सेवानिवृत्त हो गया था।

(2) याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 1 जनवरी, 1932 है और इस प्रकार, उसे पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड I, भाग। के नियम 3.26 के अनुसार 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 31 दिसंबर, 1989 से उत्तरदाताओं की सेवा से सेवानिवृत्त होना है। उन्हें 2 दिसंबर, 1960 को पूर्ववर्ती

पंजाब राज्य में पंजाब सिविल मेडिकल सर्विस क्लास II: पीसीएमएस-II में भर्ती किया गया था और उनकी सेवाएं 1 नवंबर, 1966 से हरियाणा राज्य को आवंटित की गई थीं। उन्हें 25 जनवरी, 1978 को 1400-60-1700/80-2100 रुपये के वेतनमान में हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस क्लास I में पदोन्नत किया गया था। उन्हें 1 अप्रैल, 1982 से उपरोक्त पैमाने पर दक्षता सीमा को पार करना था, लेकिन 25 फरवरी, 1983 के एक आदेश द्वारा उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई थी। बाद के दो वर्षों के लिए, यानी 1 अप्रैल, 1983 को और 1 अप्रैल, 1984 को भी, याचिकाकर्ता को दक्षता बार को पार करने की अनुमति नहीं दी गई थी और अंत में 1 अप्रैल, 1985 को उसे पार करने की अनुमति दी गई थी। दक्षता बार को पार करने के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता का वेतन हरियाणा राज्य पर लागू पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड I, भाग I के नियम 4.8 [और उसमें संलग्न नोट] के तहत उसकी सेवा की लंबाई के अनुसार समय पैमाने पर एक स्तर पर तय किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। इसलिए, याचिकाकर्ता का दावा 1 अप्रैल, 1985 से प्रभावी दक्षता बार को पार करने और उससे प्राप्त होने वाले अन्य परिणामी लाभों के परिणामस्वरूप सभी वेतनवृद्धि को जारी करने के लिए है।

(3) रिट याचिका के जवाब में, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव द्वारा लिखित बयान दायर किया गया है, जिसमें इस आधार पर आक्षेपित कार्रवाई को उचित ठहराने की मांग की गई है कि चूंकि याचिकाकर्ता का वार्षिक गोपनीय रिकॉर्ड भौतिक तिथियों पर 50 प्रतिशत नहीं पाया गया था, इसलिए उसे दक्षता सीमा को पार करने की अनुमति नहीं दी गई थी। अवकाश नकदीकरण आदि के परिणामी लाभ के संबंध में, याचिका यह है कि चूंकि याचिकाकर्ता समय से पहले सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है, इसलिए वह इसका हकदार नहीं है।

(4) पक्षकारों के विद्वान वकील को सुनने के बाद और उनके अभिवचनों और अभिलेख पर अन्य सामग्री को देखने के बाद, मेरा विचार है कि उत्तरदाताओं की दोनों दलीलें बिना किसी योग्यता के हैं। सबसे पहले, अब भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ओ. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ और अन्य (1) मामले में यह तय किया गया है कि जब भी नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी के विरुद्ध प्रतिकूल आदेश देने की मांग की जाती है, तो सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। संक्षेप में, ऑडी अल्टरम पार्टेम का सिद्धांत, अर्थात्, किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं की जानी चाहिए, अब दक्षता बार में ठहराव के मामले तक बढ़ा दिया गया है। नतीजतन, जब याचिकाकर्ता को 1 अप्रैल, 1982 को दक्षता बार को पार करना था, और उस वर्ष के लिए और लगातार दो वर्षों के लिए, यानी 1 अप्रैल को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई थी। 1983 और 1 अप्रैल, 1984, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अनिवार्य आवश्यकता थी कि वह सामग्री जिसके आधार पर दक्षता बार को पार करने से याचिकाकर्ता को

इनकार कर दिया गया था, उसे दिखाया जाना चाहिए था। जाहिर है, उद्देश्य यह है कि यदि याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया गया होता, तो वह याचिकाकर्ता द्वारा अर्जित वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की गुणवत्ता और प्रतिकूल टिप्पणियों के संबंध में अधिकारियों को संतुष्ट करने की स्थिति में होता। ऐसा न किए जाने पर, 1 अप्रैल, 1982,1 अप्रैल, 1983 और 1 अप्रैल, 1984 से प्रभाव से दक्षता बार में याचिकाकर्ता को रोकने वाले विवादित आदेशों को रद्द किया जा सकता है।

(5) दूसरा, जब याचिकाकर्ता को अंततः 1 अप्रैल, 1985 से प्रभाव से दक्षता बार को पार करने की अनुमति दी गई थी, तो वह अपनी सेवा की लंबाई के आधार पर समय पैमाने में चरण में अपना वेतन निर्धारित करने का हकदार था, जिसका अर्थ था कि समय पैमाने में सभी वेतनवृद्धि उसे जारी की जानी थी और दक्षता बार में ठहराव का प्रभाव केवल उस अवधि के लिए वेतन वृद्धि से वंचित करने के लिए था, जिसके दौरान वे वेतन वृद्धि जारी नहीं की गई थी। याचिकाकर्ता को दक्षता बार में रोके जाने की अवधि के दौरान वेतनवृद्धि की गैर-प्राप्ति, आवर्ती प्रकृति की नहीं थी, बल्कि भविष्य के प्रभाव के बिना वेतनवृद्धि को रोकने के दंड की तरह थी। इसके बाद याचिकाकर्ता का वेतन 1 अप्रैल, 1985 से एक वेतन वृद्धि के बजाय तीन वेतन वृद्धि जोड़कर तय किया जाना था। यह पंजाब सिविल सेवा, नियम, खंड I, भाग I के नियम 4.8 [और उसमें संलग्न टिप्पणी] का सही इरादा और भावना है।

(6) जहां तक छुट्टी नकदीकरण की राहत का प्रश्न है, प्रत्यर्थी की याचिका पूरी तरह से बिना किसी योग्यता के है और वास्तव में इसे इस न्यायालय द्वारा 1985 के C.W.P नंबर 4026 में पहले ही खारिज कर दिया गया है, जिसका निर्णय 10 मार्च, 1986 को लिया गया था। समय से पहले सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को छुट्टी नकदीकरण के लाभ से इनकार करना भेदभावपूर्ण पाया गया था और उपरोक्त मामले में इसे खारिज कर दिया गया था।

(7) नतीजतन, C.W.P No. 1988 का 26 अनुमत है और याचिकाकर्ता को उस राहत का हकदार माना जाता है जिसके लिए प्रार्थना की गई थी। तदनुसार, प्रत्यर्थियों को एक अनिवार्य रिट जारी की जाती है जिसमें हरियाणा राज्य को याचिकाकर्ता को सभी वेतनवृद्धि के साथ-साथ नियमों के अनुसार छुट्टी नकदीकरण का लाभ भी जारी करने का निर्देश दिया जाता है।

(8) जहां तक 1988 के C.W.P नंबर 98 का संबंध है, विषय-वस्तु 2 जुलाई, 1987 का विवादित आदेश है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया है। यह मामला के. के. वैद बनाम हरियाणा राज्य (2) में इस न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है, जिसमें बृज मोहन सिंह चोपड़ा बनाम पंजाब राज्य (3) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का पालन करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक सरकारी कर्मचारी को

असंबद्ध 'औसत' रिपोर्ट के आधार पर समय से पहले सेवा से सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता का मामला मजबूत आधार पर है क्योंकि उसे 1 अप्रैल, 1982,1 अप्रैल, 1983 और 1 अप्रैल, 1984 से प्रभाव से दक्षता बार को पार करने की अनुमति नहीं दी गई थी, जो आदेश अब 1988 के C.W.P संख्या 26 को अनुमति देकर रद्द कर दिए गए हैं।

(9) नतीजतन, 1988 के C.W.P नंबर 98 को भी अनुमति दी गई है और 2 जुलाई, 1987 का विवादित आदेश, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को सेवा से समय से पहले सेवानिवृत्त किया गया था, रद्द कर दिया गया है। याचिकाकर्ता को तदनुसार सेवा में बहाल किया जाता है और वह वेतन और भत्तों के उन सभी बकायों का हकदार होगा, जिनके वह हकदार होता, यदि वह विवादित आदेश के तहत समय से पहले सेवा से सेवानिवृत्त नहीं होता, वास्तविक भुगतान की तारीख तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ। याचिकाकर्ता इन दोनों रिट याचिकाकर्ताओं की लागत का भी हकदार होगा, जो प्रत्येक मामले में 500 रुपये आंकी गई है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रमनीक कौर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
फ़रीदाबाद, हरियाणा